

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 111/2016

श्री देवी सिंह पुत्र श्री घीसा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम धौलादांता तहसील टॉटगढ़ जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. नायब तहसीलदार टॉटगढ़ जिला अजमेर

.....रेस्पॉडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

- उपस्थित :-
1. श्री कुलवन्त सिंह चौहान, वकील अपीलान्ट की ओर से।
 2. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील

-: आदेश :-

दिनांक 06.01.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री देवी सिंह पुत्र श्री घीसा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम धौलादांता तहसील टॉटगढ़ जिला अजमेर ने ग्राम धौलादांता के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 202 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कांटों की बाड़ लगाकर व घास कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार टॉटगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 40/2016 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.09.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने तथा उन्हें पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर एक माह के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 29.09.2016 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने का निवेदन कर दिया गया था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रवधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमियों द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा



अपर कलक्टर
अजमेर

प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्त द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र उन्होंने वाद ग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्त द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि अतिक्रमण किया है इस तथ्य को अपीलान्त ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। जहां तक अपीलान्त का कथन है कि उन्होंने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तो इस आशय का शपथ पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करें कि " उन्होंने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौका निरीक्षण करे कि यदि अपीलान्त का कब्जा हो तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी अन्यथा स्थिति में केवल सजा माफ की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 1 माह के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्त की ओर से इस अपील के साथ कब्जा छोड़ने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्त के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से केवल सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत यह सुनिश्चित कर लें कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्तस ने अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा उन्होंने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्त कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरांत सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा यदि अपीलान्त द्वारा एक माह में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार इस निर्णय स्थगित किए गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलान्त को नियमानुसार सजा भुगतवायेगा तथा अपीलान्त की अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 06.01.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(किशोर कुमार)
अपस किशोर कुमार,
जबर अजमेर, अजमेर